न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 93/2015
(जीसीएमएस संख्या 2015/00163)

निर्णय दिनांकः– 20-2-26

1. विमला देवी बैवा शिवनारायण जाति छींपा निवासी महाजन तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. श्रवणकुमार
3. जगदीश प्रसाद
4. कलावती
5. आशाराम

} पुत्रगण शिवनारायण जाति छींपा निवासी महाजन तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरणसर।

–रेस्पोडेन्ट्

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 28–09–2015
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर

उपस्थितः
1. श्री योगेश आचार्य, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर के निर्णय व डिक्री दिनांक 28–09–2015 जिसके द्वारा अपीलांट्स का दावा खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 क, आरटीए का प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उल्लेखित तथ्यों व रिकॉर्ड तथा प्रस्तुत गवाहों के बयान के विपरित निर्णय व डिक्री पारित किया है। अपीलान्ट का दावा साबित होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय दावा खारिज कर दिया। अपीलांट को वादग्रस्त आराजी का दिनांक 28.06.1976 को उपनिवेशन तहसीलदार द्वारा टीसी आवंटन किया गया था जिसा पर अपीलांट शुरू से ही आज दिनांक तक मौके पर कब्जा काश्त है। रिपोर्ट पटवारी दिनांक 05.07.2015 में स्पष्ट लिखा है कि संवत 2031 से 2033 को गिरदावरी प्रतिलिपी में शिवनारायाण वल्द गणेशाराम कोम छींपा साकिन देह के नाम 1976–1977 में खसरा नम्बर 446/1 में 25 बीघा, खसरा नम्बर 446/3 में 14 बीघा, खसरा नम्बर 471/3 में 5/07 बीधा कुल 44 बीघा 7 बिस्वा में नोट का अंकन किया हुआ है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिग्री में लिखा है कि अपीलाटस द्वारा कब्जा साबित नही कर पाये है। उक्त तथ्य असत्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि वादगत भूमि वादीगण के पिता व पति शिवनारायण मो 1976–77 में टीसी आवंटन हम शाला हुई थी तथा उसके बाद लगातार अपीलार्थी का कब्जा चला आ रहा है। इस बाबत तमाम सबुत अपीलांट द्वारा पेश किये गये थे। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में इस बात का कथन किया है कि अपीलांट का कब्जा साबित नही होता है। उक्त कथन विरोधाभासी कथन है। पैरोपकार राज. द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है व न ही किसी के बयान करवाने करवाय गये। यहां तक मौका रिपोर्ट देने वाले पटवारी का भी बयान नहीं करवाया गया है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.01.1979 व 04.01. 1989 का हवाला दिया गया है। जिसकी पैराकार राज द्वारा कोई प्रति पेश नहीं कि गई है व ना ही पत्रावली पर उपस्थित है तथा ना ही आदेश की कोई क्रम संख्या ही इंगित है। वास्तव में ऐसा कोई आदेश राज्य सरकार के किसी भी पोर्टल पर उपलब्ध नही है। निर्णय के अन्तिम पेरा में यह लिखा है कि पैरोकार राज भी इन कथनों से सहमत है कि प्रस्तुत वाद मे जरिये व नियमों के प्रावधानुसार खातेदारी / गेर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती यहां पर प्रस्तुत वाद से क्या अर्थ निकाला जा सकता है यानि किसी दूसरे वाद से घोषणा की जा सकती है। उक्त भूमि का उपनिवेशन विभाग में नवीनीकरण होता

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रहा लेकिन उक्त क्षेत्र राजस्व विभाग में आ गया तो उक्त भूमि का नवीनीकरण नहीं करके अराजीराज दर्ज कर दी गई जबकि राज्य सरकार के यह आदेश थे कि टीसी आवंटित भूमि व 3 सालाना निरन्तर कब्जा काश्त की भूमि को खातेदारी या गैरखोतदारी दर्ज की जावें। अपीलांटस ने अपने जिम्मे तनकी को अपने स्वयं के बयानों से व गवाहों के बयानों से व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के जिम्मे तनकी को साबित होते हुए भी विपरित निर्णय करने में कानूनी गलती की है। अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांटस की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटस का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। वादग्रस्त आराजी अपीलांटस के पिता को एक साला अस्थाई रूप से आवंटित की गई थी उसके बाद उनका न तो कब्जा काश्त रहा है और ना ही टीसी का नवीनीकरण हुआ है। इसलिए अपीलांटस/वादी किसी प्रकार की घोषणा का अधिकारी नही था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के आलोक में निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः अपीलाट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

अपीलांटस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 आरटीए व 136 एलआरए पेश किया गया। जिसमें स्टेट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा एवं जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में निम्नाकिंत छह तनकीयात कायम की गई–

तनकी संख्या–1 आया कि वादीगण वादगत भूमि टी. सी. आवंटन के आधार पर राज्य सरकार के आदेश एवं निर्देशानुसार खातेदार अधिकारों की घोषणा कराने के मुश्तहक है । वादीगण

तनकी संख्या 2– आया कि वादीगण वादगत भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज की जगह अपने नाम दुरूस्त करवाने के हकदार है। वादीगण

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तनकी संख्या 3– आया कि वादीगण वादगत भूमि बाबत् प्रतिवादी के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है। – वादीगण

तनकी संख्या 4– आया कि वादीगण को वादगत भूमि मात्र एक साला टी.सी. आवंटन हुई उसके बाद नवीनीकरण नहीं हुआ है। इसलिए नवीनीकरण के अभाव में वादीगण किसी प्रकार की घोषणा करवाने के हकदार नहीं है। प्रतिवादी

तनकी संख्या 5– आया वादगत भूमि पर वादीगण के लगातार कब्जे काश्त के अभाव में दावा खारिज फरमाया जावे । प्रतिवादी

तनकी संख्या 6– अनुतोष ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियों का पृथक–पृथक विवेचन नही किया गय। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक तनकी का पृथक–पृथक विवेचने करनके तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट में पड़ौसियों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है जिसका उल्लेख नही किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पुष्टि योग्य निर्णय नही है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड़ अधिकारी, लूणकरणसर का को इन निर्देशो के साथ प्रेतिप्रेषित की जाती है कि उभय पक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर तार्किक विवेचन करते हुए तनकीवार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

7. निर्णय आज दिनांक 20-2-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर